FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

अदालत ____ मुकाम ____

देविका बनाम संरपच ग्राम पं के लुम्बला भाटियान.

केस मुकदमा राजस्व अपील 75 RLR Act नं. 04 सन् 2016

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/9/2016	प्रार्थी/वादी/अपीलेंट के वकील श्री..कुम्भाराम बोचा..... ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा .....75 RLR Act..... राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक.....8/11/16.....को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
08/11/16	अपीलान्ट के वकील उपस्थित। उत्तरालागों के नोटिस तामिल नहीं तामिल प्राप्त/ जीवन पीठासीन अधिकारी बाड़मेर डिग्री कार्यों में व्यस्त होने के मिसल इन्तजार पेशी आगामी दिनांक 17/01/17 को पेश हो।	
17/01/17	अपीलान्ट के वकील व अपीलान्टगण एवं उपस्थित। उत्तरालागण लंबका। ले.15 के नोटिस पूर्व में जारीये रजिस्ट्री रही भिजवाये गये जिनकी रही पुनः प्राप्त नहीं हुई है. उत्तरालागण लंबका 2 व 3 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा व लिखित उत्तरथन पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया/नोटिसतालागों के रही है, इन्तजार में पत्रावली अग्रिम दिनांक 17/01/17 को पेश हो।	देविका

Scanned by CamScanner

07/02/17 अपीलान्ट व उत्तरदातागण संख्या-2 व 3 के वकील उपस्थित। शेष उत्तरदातागणों को सम्मन जारियें वजिन्हड एडी मिजवाये गये उ०ली०) तीन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। उत्तरदाता संख्या-1 व 4 से 15 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उत्तरदाता-गण संख्या-1 व 4 से 15 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वाद्ये नस्ल पत्रावली दिनांक 27/06/17 को पेश हो। [illegible]

27/06/17 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। सीमा चौहानी अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 13/09/17 को पेश हो। [illegible]

13/09/17 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। सीमा चौहानी अधिकारी न्याय प्रपत्रे कार अभियान में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 13/11/17 को पेश हो। [illegible]

13/11/17 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक. 12.12.17 का पश हों। [illegible]

12/12/17 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ता बहस अंतिम करना चाहते हैं। पूर्व से पश्चात अवसर दिये गये। अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24/01/18 को पेश हो। [illegible]

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/01/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तवा होकर दिनाक 20/03/18 का पेश हों ।	
20/03/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तवा होकर दिनाक 30/04/18 का पेश हों ।	
30/04/18	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी आज डेहपर दिगर कार्यों में व्यस्त होने के सबब इत्तवा होकर आगामी दिनांक 27/06/18 को पेश हो।	
27/06/18	पत्रावली आज स्थान आपरेशन कार प्रतिमान 2018 कैम्प कोर ग्राम पंचायत डेहमवला तहसील में रखी गई वकुलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ता बहस करना चाहते हैं पर्व में अंतिम फैसला किया जाता है व्यवहित में एक और फैसला दिया जाकर पत्रावली दिनांक 06/08/18 को पेश हो।	
06/08/18	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है अतः पद रिक्त होने के सबब इत्तवा होकर आगामी दिनांक 16/10/18 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जब हुक्म की तामील में जारी हुए
16/10/18	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इत्तवा होकर आगामी दिनांक 18/12/18 को पेश हो।	
18/12/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यो मे व्यस्त हैं। पत्रावली ईत्तवा होकर। दिनांक 21/02/19 को पेश हो।	
21/02/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तवा होकर दिनांक 06/05/19 का पेश हों।	
06/05/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यो मे व्यस्त हैं। पत्रावली ईत्तवा होकर। दिनांक 05/08/19 को पेश हो।	
05/08/19	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी जम्मुर सिटिंग से पधारे हुए हैं फल: मिसल इत्तवा होकर वास्ते बहाल पत्रावली दिनांक 23/10/19 को पेश हो।	
23/10/19	अपीलान्ट व उत्तरदाता संख्या-2 व 3 के वकील उपस्थित। उत्तरदाता संख्या-2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा अर्ज में लिखित प्रस्तुतन पेश कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के ~~[illegible]~~ सम्बन्ध में तहमली जाहिर कर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या-113 दिनांक-20.11.2009 वाजत्व ग्राम-कुसुम्खला माफियान	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की निरस्त कर अपीलान्ट का नाम धमा पुत्र रामा के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्रि कीये जाने का निवेदन कीया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, उत्तरदाता संख्या-2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में सहमती जाहिर की गई तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा Rulings Supreme Court of India सिविल अपील Nos. 188-189 of 2018 [@SLP(C) Nos. 10638-10639 of 2018] Danamma @ Suman Surpur & Anr. बनाम Amar & ors. पेश कीया गया जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। इसके अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनने, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकार्ड का एवम उत्तरदातागण संख्या-2 व 3 के प्रतिउत्तर का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने के बाद अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि आदेश अलग से लिखा जाए। शामिल पत्रावली कीया गया। पत्रावली कमल कुमार होश इन्द्र नम्बर से उम्र है, दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.)

अपील सख्या – 04/2016

अपीलांट	बनाम	उतरदाता
1. देविका पुत्री घमाराम उर्फ घमूराम पत्नी रमेश कुमार जाति नाई निवासी कसुम्बला भाटियान, तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर		1. सरपंच ग्राम पंचायत केसुम्बला भाटियान 2. तेजाराम पुत्र चैनाराम 3. भोमाराम पुत्र चैनाराम 4. खेमाराम गोदपुत्र खेताराम 5. धर्माराम पुत्र लालाराम 6. ओमाराम पुत्र उम्मेदाराम 7. जेठाराम पुत्र उम्मेदाराम 8. ताराराम पुत्र उम्मेदाराम 9. सुरताराम पुत्र उम्मेदाराम 10. सुगणी पत्नी उम्मेदाराम 11. जोगाराम पुत्र पदमाराम 12. दुर्गाराम पुत्र पदमाराम 13. घेवरराम पुत्र पदमाराम जातियान् नाई निवासीयान् केसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा 14. रूगपुरी पुत्र हेमपुरी जाति स्वामी निवासी कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा 15. प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा सवाउ पदमसिंह तहसील गिड़ा

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

दिनांक :– 23/10/2019

उपस्थित :– 1. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील अपीलांट
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील उत्तरदाता संख्या 2 व 3

–: आदेश :–

अपीलांट द्वारा अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या–113/20.11.2009 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट एवं उत्तरदाता संख्या 2 से 13 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा कसुम्बला भाटियान पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा के ख.नं 321 रकबा 222.04 बीघा भूमि आई हुई हैं। अपीलांट के पिता घमाराम उर्फ घमूराम के फौत होने पर भरे गये फोतगी नामान्तरकरण में अपीलांट के स्थान पर अपीलांट के पिता के भाई के लड़कों तेजाराम व भोमाराम के नाम से नामान्तरकरण पारित किया गया है। जबकि अपीलांट ही घमाराम की इकलौती वारिश है। अतः उक्त कार्रवाही से व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत कर अपीलांट का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया है।

अपीलांटगण द्वारा देरी के लिये धारा–5 म्याद भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट ने देरी के लिये धारा–5

23.10.2019

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

तीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत सदभावी भूल मानते हुए एवं इस अपील में निहित उक्त देरी के लिए क्षमा मांगते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, उत्तरदातागण को सम्मन जारी किये गये है। उत्तरदातागण संख्या 1 व 4 से 15 स्वयं या उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से दिनांक 07.02.2017 को उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उत्तरदाता संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा व प्राक्कथन पेश किया गया। उत्तरदाता संख्या 2 व 3 की ओर से प्राक्कथन पेश कर अपील के सभी तथ्यों को स्वीकार करते हुए विवादित आराजी में अपीलांट का नाम दर्ज किये जाने की लिखित सहमति प्रदान की है। अपीलांट वकील द्वारा न्यायिक दृष्टान्त SUANAMMA @ SUMAN SURPUR &ANR. VERSUS AMAR & ORS. CIVIL APPELLATE पेश किया गया।

नामान्तरकरण संख्या–113/20.11.2009 के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट के पिता के फौत होने पर भरे गये फौतगी नामान्तरकरण में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया जाकर उसके पिता के भाई के लड़कों का नाम दर्ज कर दिया गया। ग्राम पंचायत केसूम्बला भाटियान द्वारा जारी वारिशान प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट है कि घमाराम उर्फ घमुराम पुत्र रामाराम की इकलौती वारिशान अपीलांट देविका ही है। अपीलांट के अलावा अन्य कोई जायंदा वारिशान नहीं है।

हमने अपीलांट वकील की बहस सुनी व पत्रावली क संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि इस अपील में अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकारी के अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलांट के नैसर्गिक उत्तराधिकार के सारवान अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर रखते हुऐ अपीलांट की अपील अन्दर म्याद आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या–113/20.11.2009 को खारिज किया जाकर, मौजा कसुम्बला भाटियान पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा के खेत ख.नं 321 रकबा 222.04 बीघा भूमि में अपीलांट का नाम उत्तरदाता संख्या 2 से 14 के साथ सहखातेदार के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गिड़ा उक्त आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु सत्यमेव जयते

23.10.2019

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.10.2019

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.18 10:15:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: